फार्म नं.– III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

पूजा आदि बनाम रिछपाल आदि

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर 133 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 217

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओम धायल ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। वकील प्रार्थी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि यदि स्थगन जारी किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने पर सहमति प्रकट की गयी है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने तथा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी चक 2 पीटीडी खाता सं. 58 में दर्ज भूमि मु.नं. 9 प.नं. 226 / 367 की कुल 1.999है. कमाण्ड अप्रार्थी सं. 1 रिछपाल के नाम से खातेदार दर्ज होने तथा अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह जाहिर करने कि वह भूमि का विक्रय नहीं करेगा तथा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।<br>अंतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैंसला मूल वाद जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 2 पीटीडी खाता सं. 58 में दर्ज भूमि मु.नं. 9 प.नं. 226 / 367 की कुल 1.999है. कमाण्ड पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।<br><br>शकुन्तला<br>आर.ए.एस.<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीविजयनगर | प्रकरण में स्थगन जारी किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। भूमि को विक्रय नहीं करूंगा तथा अन्य किसी प्रकार से विवादित भूमि को हस्तान्तरण नहीं करूंगा।<br>[signature]<br>20.08.25 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:14:34 IST
Reason: SelfAttested